

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2024—आश्विन 17, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1-5-5-0007-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, वन विभाग के तृतीय श्रेणी में वाहन चालक के 613 एवं चतुर्थ श्रेणी में सहायक महावत के 49 पदों पर कार्य की प्रकृति दुर्गम और विषम क्षेत्र की होने से दिव्यांगजनों के लिए पदों में चिन्हांकन से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.